"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 581] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 नवम्बर 2014—कार्तिक 16, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1-93/18/2014-1 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर **पंचायत फरसगांव जिला-कोण्डागांव** के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:-

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	01	महात्मा गांधी वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	04	माँ दंतेश्वरी वार्ड
		09	अटल बिहारी वाजपेई वार्ड
		11	जयबुढ़ा देव वार्ड
		12	वीरागनां रानी दुर्गावती वार्ड
		13	नेताजी सुभाष चन्द्र वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	08	माँ गायत्री वार्ड
		10	महाराजा प्रवीर चन्द्र भंजदेव वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	निरंक	निरंक
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
7.	महिला वर्ग	02	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड
		07	माँ दुर्गा वार्ड
		15	महाराणा प्रताप वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–93/2014/18 (1) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–93/2014/18 (1) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F1-93/18/2014-1 the list of the Reservation of Wards for Nager Panchayat Pharasgaon distt. Kondagaon is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	01	Mahatma Gandhi Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	Nill	Nill
3.	Scheduled Tribes	04	Maa Danteshwari Ward
		09	Atal Bihari Vajpeyi Ward
		11	Jaibudha Deo Ward
		12	Veerangana Rani Durgawati Ward
		13	Netaji Subhash Chandra Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	08	Maa Gayatri Ward
		10	Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Ward
5.	Other Backward Class	Nill	Nill
6.	Other Backward Class (Female)	Nill	Nill
7.	Female	02	Chandrasekhar azad Ward
		07	Maa Durga Ward
		15	Maharana Pratap Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–93/18/2014–2 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार नगर पंचायत केशकाल जिला–कोण्डागांव के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	06	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	निरंक	निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	03	भंगाराम वार्ड
		07	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
		10	शितला वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	04	शिवमंदिर वार्ड
		14	वीर नारायण वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	पं. दीनदायाल उपाध्याय वार्ड
		08	सुभाष चौक वार्ड
		13	प्रवीर चंद भंजदेव वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	09	अशफाक उल्ला खॉ वार्ड
7.	महिला वर्ग	05	जवाहर वार्ड
		15	महात्मागांधी वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–93/2014/18 (2) .– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–93/2014/18 (2) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F1-93/18/2014-2 the list of the Reservation of Wards for Nager Panchayat Keshkal distt. Kondagaon is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	06	Dr. Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	Nill	Nill
3.	Scheduled Tribes	03	Bhangaram Ward
		07	Dr. Shaymaprasad Mukharji Ward
		10	Sheetla Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	04	Shiv Mandir Ward
		14	Veer Narayan Ward
5.	Other Backward Class	02	Pt. Dindayal Upadhyay Ward
		08	Subhash Chowk Ward
		13	Praveer Chand Bhanjdeo Ward
6.	Other Backward Class (Female)	09	Ashfaq ulla Khan Ward
7.	Female	05	Jawahar Ward
		15	Mahatma Gandhi Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 07.11.2014

अधिसूचना

क्र. एफ 1–93/18/2014–3 छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29–ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डो का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 7 के अपेक्षानुसार **नगरपालिका परिषद कोण्डागांव**, जिला–कोण्डागांव के आरक्षित वार्डो की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:–

आरक्षित वार्डो की सूची

क्र.	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	18	सरगीपाल वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	11	दण्डकारण्य वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	02	सुभाषचन्द्र बोस वार्ड
		03	श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड
		05	जामकोटपारा वार्ड
		15	अंबेडकर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	13	बंधापारा वार्ड
		14	फारेस्टकालोनी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	09	तहसीलपारा वार्ड
		12	भेलवांपदर वार्ड
		17	शहीद भगत सिंह वार्ड
		20	स्वामी विवेकानंद वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	08	विकास नगर वार्ड
		10	पं0 दीनदायाल उपाध्याय वार्ड
7.	महिला वर्ग	06	बाजार पारा वार्ड
		16	शहीद वीर नारायण वार्ड

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2014

पृष्ठां. पत्र कमांक एफ 1–93/2014/18 (3) :– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 1–93/2014/18 (3) दिनांक 07–11–2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव.

Naya Raipur dated 07.11.2014

NOTIFICATION

No. F1-93/18/2014-3 the list of the Reservation of Wards for Municipal Council Kondagaon distt. Kondagaon is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 mad under section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Muncipalities Act 1961 (No. 37 of 1961), as follows :-

List of the Reserved Wards

Sl. No.	Reservation for Category	Ward No.	Name of the Wards
1.	Scheduled Caste	18	Sargipal Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	11	Dandkaranya Ward
3.	Scheduled Tribes	02	Subhash Chandra Bose Ward
		03	Shyama Prasad Mukharji Ward
		05	Jamkotpara Ward
		15	Ambedkar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	13	Bandhpara Ward
		14	Forest Colony Ward
5.	Other Backward Class	09	Tahshil Para Ward
		12	Bhelwapadar Ward
		17	Shahid Bhagat Singh Ward
		20	Swami Vivekanand Ward
6.	Other Backward Class (Female)	08	Vikas Nager Ward
		10	Pt. Dindayal Upadhayay Ward
7.	Female	06	Bazarpara Ward
		16	Shahid Veer Narayan Ward

By order & in the name of Governor of Chhattisgarh,

JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.